

प्रेषक,

जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा,
जनपद- उत्तरकाशी।

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
देहरादून।

पत्रांक/स्था0बे0/ 867 /नियुक्ति/2021-22 दिनांक 28 अप्रैल 2022


विषय- सहायक अध्यापक प्राथमिक के पद पर नियुक्ति हेतु निर्गत नियुक्ति पत्र स्कूल ऐजुकेशन की बैवसाइट Website WWW.Schooleducation.uk.gov.in पर अपलोड किये जाने के सन्दर्भ में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक इस कार्यालय द्वारा विज्ञप्ति संख्या 5080-82 /2020-21 दिनांक 29.11.2020 एवं संशोधित पत्रांक:3165/ 2021-22 दिनांक 8 अक्टूबर 2021 के द्वारा सहायक अध्यापक प्राथमिक के पदों पर आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। जिसके क्रम उपर्युक्त विषयक इस कार्यालय द्वारा विज्ञप्ति संख्या 5080-82 /2020-21 दिनांक 29.11.2020 के द्वारा सहायक अध्यापक प्राथमिक के पदों पर आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। जिसके क्रम प्रतीक्षा सूची के पंचम चरण में अर्ह अभ्यर्थियों को अधोहस्ताक्षरी कार्यालय द्वारा नियुक्ति पत्र निर्गत किया गया है।

अतः संलग्न नियुक्ति पत्र महोदय, की सेवा में इस निवेदन के साथ प्रेषित कि नियुक्ति पत्र विभागीय वेबसाइट WWW.Schooleducation.uk.gov.in पर अपलोड करने का कष्ट करेंगे।

संलग्नक- यथोपरि।


(पदमेन्द्र सकलानी)
जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा
उत्तरकाशी

28/4/22



कार्यालय : जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) उत्तरकाशी।

ई-मेल आई०डी० deo.uttarkashi@gmail.com, दूरभाष/फैक्स नं०-01374-222833

आदेश संख्या: प्रा.शि./

88

/नियुक्ति/2021-22 दिनांक 28 अप्रैल 2022।

"नियुक्ति आदेश"

निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड ननूरखेड़ा, देहरादून के पत्र संख्या-प्रा0शि0-दो(2) 419-2019 /9950-53/ 2020-21 दिनांक 09 नवम्बर 2020 के क्रम में उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012(यथा संशोधित) नियमावली में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत इस कार्यालय के पत्रोंक संख्या:प्रा0शि0-5080-82/2020-21 दिनांक 29 नवम्बर 2020 एवं संशोधित पत्रोंक/3165/विज्ञापित/2021-22 दिनांक 08 अक्टूबर 2021 के द्वारा प्रकाशित विज्ञापित के सापेक्ष राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक सीधी भर्ती पर नियुक्ति हेतु निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्र दिनांक 14 सितम्बर 2021 के द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनोपरान्त द्विवर्षीय डिप्लोमा डी.एल.एड./बी.टी.सी तथा बी.एड एवं सी.टी.ई.टी./यू.टी.ई.टी-1 उत्तीर्ण अनन्तिम चतुर्थ प्रतीक्षा सूची में सीधी भर्ती के अन्तर्गत निम्न चयनित अभ्यर्थियों को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-08 में अंकित राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक वेतनामन रु०-35400-112400 लेवल-06 के पद पर 02 वर्ष के परिवीक्षाकाल पर अस्थायी रूप से नियुक्ति प्रदान की जाती है यह नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या- 903/2019 एवं रिट याचिका संख्या-350/एस.एस./2021 नन्दन सिंह बोरा बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य व याचिका संख्या-2292/2018/एस.एस. विनय कुमार व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य रिट याचिका संख्या-423 एस.बी./2021 रिट याचिका संख्या-419 एस.एस./2021 याचिका संख्या-420 एस.बी./2021 याचिका संख्या-424/एस.बी./2021 में मा० उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड द्वारा पारित अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगी। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा स्नातक (बी.एड)/शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) किन्तु इस प्रकार कक्षा-01 से 05 तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त अभ्यर्थी को दो वर्ष के भी (NCTE) द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 06 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। उक्त 06 माह का प्रशिक्षण पूर्ण करने के उपरान्त ही नियमानुसार वार्षिक वेतनवृद्धि देय होगी। निर्धारित अर्हताएँ पूर्ण न किये जाने की दशा में सेवायें समाप्त कर दी जायेगी। नियुक्त अभ्यर्थियों के मूल शैक्षिक अभिलेखों एवं जाति प्रमाण पत्रों का सत्यापन तथा वैधता सम्बन्धित विकासखण्ड के उपशिक्षा अधिकारी द्वारा निर्गमन करने वाली संस्थाओं से कराया जायेगा सत्यापन में भिन्नता पाये जाने अथवा प्रमाण-पत्रों के असत्य पाये जाने की दशा में अभ्यर्थी की नियुक्ति तत्काल निरस्त कर दी जायेगी, एवं सम्बन्धित अध्यापक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराते हुए विधिक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। नव नियुक्त अध्यापक/अध्यापिका को आबटित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है। नियुक्त अध्यापक/अध्यापिका को उनके आबटित विद्यालय में 07 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना होगा निर्धारित समयान्तर्गत विद्यालय में कार्यभार ग्रहण न करने पर यह आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा। यह नियुक्ति शासनादेश संख्या-21/xxvi(7)/अ.पे.यो./2005 दिनांक 25.10.2005 से आच्छादित होगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक जेष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।

क्र.सं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता का नाम	पता	जाति	नियुक्ति का विषय	नियुक्त आबटित रा०प्रा०वि० का नाम	विकास खण्ड का नाम
1	2	3	4	5	7	8	9
1	मोनी पुरोहित	चन्दर दत्त पुरोहित	ग्राम.पो.कनारा चन्द्रपुरी जिला रुद्रप्रयाग	सामान्य	विज्ञान	रा.प्रा.वि. सरनौल दुर्गम	नौगांव
2	लक्ष्मी थापा	श्री देवेन्द्र कुमार थापा	107 संजय कॉलोनी वाल्मिकी बस्ती पटेलनगर दू.दन	obc	सामान्य	रा.प्रा.वि. दौरसौ दुर्गम	नौगांव
3	सुनीता	श्री सोबन सिंह	ग्रा. चामा पो. कठोई चकारात	obc	सामान्य	रा.प्रा.वि. काण्डा दुर्गम	नौगांव
4	पवन कुमार	श्री कशोराम	ग्रा. पो. चुड़ियाला हरिद्वार	sc ph	सामान्य	रा.प्रा.वि. बियाली दुर्गम	नौगांव
5	जयमाला चमोली	स्व.श्री जगदीश प्रसाद	ग्रा. व पो. कुथनौर उ०का०	obc	सामान्य	रा.प्रा.वि. हलना दुर्गम	नौगांव
6	मनोज कुमार खोलिया	श्री लक्ष्मी दत्त खोलिया	ग्रा.पो.मटेना गरुड़ बागेश्वर	ews	विज्ञान	रा.प्रा.वि. उडरी दुर्गम	डुण्डा
7	सरिता	श्री उमेश सिंह गुंसाई	ग्रा.पो.बादशाही थौल टिहरी गढ़वाल	ews /gen.	विज्ञान	रा.प्रा.वि. सोड दुर्गम	डुण्डा
8	साधना	श्री राधाकृष्ण	ग्रा.देवलगुठ बेरागण रुद्रप्रयाग	सामान्य	गणित	रा.प्रा.वि. कुमारकोट दुर्गम	डुण्डा
9	नीरज रवि	स्व श्री रामकिशन रवि	पी.डब्ल्यू.डी. कालोनी उत्तरकाशी	sc	गणित	रा.प्रा.वि. खुरमोला दुर्गम	डुण्डा
10	कृष्णपाल सिंह	श्री पूरण सिंह	ग्रा. अलेथ पो. मानपुर उ०का०	obc	सामान्य	रा.प्रा.वि. सिरौ दुर्गम	डुण्डा
11	लक्ष्मी नेगी	श्री दिलबर सिंह रावत	ग्रा. कण्डई बजेठा पोखरी चमोली	सामान्य	अंग्रेजी	रा.प्रा.वि. डांग दुर्गम	डुण्डा

(Handwritten signature)

12	अवनीश कुमार	श्री हरपाल सिंह	58 बी. नालापानी रोड दे. दून	अनुसूचित जाति	गणित	रा.प्रा.वि. ओसला दुर्गम	मोरी
13	श्रीमती निर्मला	श्री नारायण दास	ग्रा.पो.रामा,गुन्दियाटगाँव पुरोला	SC	अन्य विज्ञान	रा.प्रा.वि. नागपानी दुर्गम	मोरी
14	बिरेन्द्र दास आर्य	श्री चापदूराम	ग्रा. जोगिया चकराता दे.दून	SC	गणित	रा.प्रा.वि. सट्टा दुर्गम	मोरी
15	सुधांशु	श्री ब्रहमानन्द	ग्रा. पलसारी गौचर पो. गौचर चमोली	सामान्य	गणित	रा.प्रा.वि. भीतरी दुर्गम	मोरी
16	किशोर राम	श्री फकीरराम	ग्रा. नैनी पो. तह. गंगोलीहाट पिथौरागढ़	SC	हिन्दी	रा.प्रा.वि. कांसला दुर्गम	मोरी
17	बृजेश कुमार ध्यानी	श्री एस.पी. ध्यानी	ग्रा. पो.तैडिया पौनो पौड़ी गढवाल	सामान्य	विज्ञान	रा.प्रा.वि. सिरगा दुर्गम	मोरी
18	जातीराम	श्री चन्द्रभान	ग्रा. खरक पो. भलस्वांगज हरिद्वार	दिव्यांग अनुसूचित जाति	गणित	रा.प्रा.वि. गोरियाणा दुर्गम	मोरी
19	वीरपाल सिंह	श्री मालाराम	ग्रा.कुफारा पो. डकाड़ा पुरोला उ0का0	SC	सामान्य	रा.प्रा.वि. फफराला दुर्गम	मोरी
20	केदार सिंह	श्री श्याम सिंह	ग्रा. देवपुरी पत्थरकट्टा पो. नैल गैरसैण चमोली	ews	सामान्य	रा.प्रा.वि. पवांणी दुर्गम	मोरी
21	अमित अरोड़ा	श्री सुरेन्द्र कुमार गम्भीर	136 नेहरू नगर रुड़की हरिद्वार	सामान्य	सामान्य	रा.प्रा.वि. धारकोटी दुर्गम	मोरी
22	निशांत चौहान	श्री सुनील कुमार चौहान	ग्रा. करोन्दी रुड़की हरिद्वार	सामान्य	सामान्य	रा.प्रा.वि. डाटमीर दुर्गम	मोरी
23	विकांत चौधरी	श्री अरविन्द कुमार	ग्रा. पो. नगाला सलारु गुरुकुल नारसन हरिद्वार	obc	सामान्य	रा.प्रा.वि. ओसला दुर्गम	मोरी
24	त्रेपन सिंह बिष्ट	श्री बैसाख सिंह बिष्ट	ग्रा. रिखाउ पो. बनचौरा चि0सौड उ0का0	obc	सामान्य	रा.प्रा.वि. रिखाण गांव दुर्गम	चि0 सौड
25	संजय प्रसाद	श्री चकधर	ग्रा. चौंडा पो. भरपूर टिहरी	भ.पू. सै. सामान्य	गणित	रा.प्रा.वि. छेणद दुर्गम	चि0सौड
26	राजेश रावत	श्री अत्तर सिंह रावत	ग्रा. पाला पो. बासू उ0का0	obc	सामान्य	रा.प्रा.वि. गुणगा दुर्गम	भटवाडी

(पदमेन्द्र सकलानी)
जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा,
उत्तरकाशी।

पृ.सं./ प्रा.शि./ 059-66 /नियुक्ति/2021-22 दिनांक उक्तवत्

प्रतिलिपि निम्नांकित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01- निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।

02- अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।

03- वित्त अधिकारी प्रा0शि0 उत्तरकाशी

04- वरिष्ठ/उप कोषाधिकारी, उत्तरकाशी।

05- उपशिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा सम्बन्धित विकासखण्ड उत्तरकाशी को इस निर्देश के साथ कि सभी अभ्यर्थियों के प्रकाशित विज्ञापित में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत नव नियुक्त अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके स्वस्थता प्रमाण पत्र एवं 02 राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त करें। दो वर्ष के परिवीक्षा काल के अन्तर्गत नियुक्त अध्यापक/अध्यापिका द्वारा उपलब्ध कराये गये (शैक्षिक/प्रशिक्षण/जाति/विवाह सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों की जाँच सम्बन्धित विश्वविद्यालयों/संस्थाओं से करवाये जाने पर यदि कोई असत्यता पायी जाती है तो नियुक्ति स्वतः ही निरस्त मानी जायेगी) उनके समस्त शैक्षिक मूल प्रमाण पत्रों की जाँच कर लें, एवं समस्त प्रमाण पत्रों की सत्यापित छाया प्रति (शपथ-पत्र के साथ) प्राप्त कर 01 प्रति कार्यालय में सुरक्षित रखें।

06-सम्बन्धित प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका नवनियुक्त अध्यापक/अध्यापिका के समस्त अभिलेखों की एक प्रति विद्यालय में सुरक्षित रखें।

07- सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिका।

08- कार्यालय सुरक्षित पत्रावली।

जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा,
उत्तरकाशी।